निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ3(अ.स.)एसीआर/निकाशि/12/43 दिनांक : 4.2.13

समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय/राजकीय विधि महाविद्यालय, राजस्थान
प्राचार्य, राजस्थान स्कूल आफ आर्ट/ राजस्थान संगीत संस्थान, जयपुर
समस्त सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान,
जयपुर/अजमेर/कोटा/उदयपुर/बीकानेर/जोधपुर

विषय :– वर्ष 2012 के लिए (01.01.13 की स्थिति में) समस्त राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अचल सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत करने बाबत्।

संदर्भ :– इस विभाग का पत्र क्रमांक एफ3(अ.स.) स्था/एसीआर/निकाशि/11/पार्ट /524 दिनांक 21.02.12

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस विभाग के अधीन कार्यरत समस्त अधिकारियों/अधीनस्थ सेवा के राजपत्रित अधिकारियों से वर्ष 2010 (01.01.11 की स्थिति) तथा वर्ष 2011 (01.01.12 की स्थिति) में अचल सम्पत्ति विवरण पत्र भरवाकर कार्मिक विभाग को भिजवाये गये थे। चूंकि राज्य सरकार द्वारा राज्य में कार्यरत सभी राजपत्रित अधिकारियों के 01.01.2011 में इनके पश्चातवर्ती वर्षो की भी अचल सम्पत्ति का विवरण सार्वजनिक किया जाना है।

अतः कृपया आपके अधीन कार्यरत समस्त राजपत्रित अधिकारियों के अचल सम्पत्ति विवरण प्रपत्र पूर्ण करवाकर आवश्यक रूप से **दिनांक 15.02.13 तक निदेशालय में प्रस्तुत करें।** इस सम्बन्ध में निम्न महत्पूर्ण बिन्दुओं का ध्यान रखें।

1. केवल राजपत्रित अधिकारियों के ही अचल सम्पत्ति विवरण पत्र भरवाकर भेजे। पूर्व में कुछ महाविद्यालय के प्राचार्यों द्वारा संविदा व्याख्याताओं के तथा अराजपत्रित कर्मचारियों के अचल सम्पत्ति विवरण पत्र भी भरवाकर प्रेषित कर दिये गये थे। कृपया इन्हें प्रेषित नहीं करें।
2. अचल सम्पत्ति **विवरण पत्र में अचल सम्पत्ति का विवरण 01.01.13 की स्थिति में दिया जाना है।** अतःएवं पूर्व वर्षोनुसार नहीं लिखे। इस वर्ष के लिये भी अचल सम्पत्ति का पूर्ण विवरण दिया जावें।
3. टी.आर.एफ/पीडीएफ/एवं अन्य स्थानों पर प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत व्याख्याताओं के अचल सम्पत्ति विवरण पत्र भी भरवाकर भिजवाये तथा प्रपत्र में उपर दाहिनी ओर टिप्पणी दें (टी.आर.एफ., पीडीएफ, प्रतिनियुक्ति)
4. राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम–2010 के अन्तर्गत समायोजित व्याख्याताओं के अचल सम्पत्ति विवरण पत्र भी **01.01.13 की स्थिति में भरवाकर दिनांक 15.02.13 तक प्रस्तुत करें।** कार्यालय उपयोग में सुविधा हेतु **इन्हें अलग सूची बनाकर भिजवाये तथा प्रपत्र में दाहिनी ओर आर.वी.आर.ई.एस. इंगित करें।**
5. उपरोक्त सभी अचल सम्पत्ति विवरण पत्र 2 प्रतियों में भरवाकर भिजवाये तथा महाविद्यालय से सभी अचल सम्पत्ति विवरण पत्र एक साथ भरवाकर भिजवाये जाने का प्रयास करें।
6. महाविद्यालय में कार्यरत समस्त राजपत्रित अधिकारियों की सूची (प्राचार्य/उपाचार्य सहित) बनाकर भिजवाये तथा पी.डी.एफ./टी.आर.एफ पर होने पर इस सूची में संबंधित व्याख्याताओं के नाम के आगे पी.डी.एफ./टी.आर.एफ अंकित करे।
7. उपरोक्त सभी अचल सम्पत्ति विवरण पत्र भिजवाये जाने से पूर्व सुनिश्चित करे कि उक्त अचल सम्पत्ति विवरण पत्रों में सभी कालमों की पूर्ती कर दी गई है। **यथा कार्मिक का नाम, महाविद्यालय का नाम, धारित पद (विषय सहित), जन्म तिथि, हस्ताक्षर इत्यादि।**

निम्न सूचना भी अवश्य प्रेषित करें।

प्रपत्र (अ) (01.01.13 की स्थिति में)

1.	महाविद्यालय में कार्यरत कुल राजपत्रित अधिकारियों की संख्या (प्राचार्य, उपाचार्य सहित)।	
2.	महाविद्यालय से भिजवाये गये कुल राजपत्रित अधिकारियों के अचल सम्पत्ति विवरण पत्रों की संख्या।	
3.	महाविद्यालय से नहीं भिजवाये जाने वाले राजपत्रित अधिकारियों के अचल सम्पत्ति विवरण प्रपत्रों की संख्या।	

प्रपत्र (ब)

क्र.स.	नाम राजपत्रित अधिकारी/जिनका अचल सम्पत्ति विवरण नहीं भिजवाया गया है। (01.01.13 की स्थिति में)	धारित पद	विषय	जन्म तिथि	नहीं भेजने का कारण
1.					
2.					

उपरोक्त प्रपत्र (अ), (ब) की सूचनाऐ राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम–2010 के अन्तर्गत समायोजित व्याख्याताओं के लिये भी अलग से संलग्न कर भेजें (कार्यालय उपयोग मे सुविधा हेतु)

आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि जो अधिकारी अचल सम्पत्ति का विवरण निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत नहीं करते है तो उन्हें कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 14.04.11 एवं 17.05.11 के अनुसार उनकी विजीलेंस क्लीयरेंस नहीं दिये जाने एवं पदोन्नति, एम्पेनलमेंट पर विचार नहीं किये जाने साथ ही ऐसी अचल सम्पत्ति का वर्तमान मूल्य उस अवधि में प्रचलित डी.एल.सी दर के आधार पर संगणित किये जाने तथा राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अचल सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही उन्हें आगामी वेतन वृद्धि स्वीकृत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। **इस नियम का कठोरता से पालन किया जाये कृपया इसे स्वयं की जिम्मेदारी समझे तथा अचल सम्पत्ति विवरण पत्र पूर्ण करवाकर आवश्यक रूप से दिनांक 15.02.13 तक निदेशालय भिजवायें। साथ ही आपके अधीन कार्यरत राजपत्रित अधिकारियों को वर्ष 2012 के लिए (01.01.13 की स्थिति में) अपना अचल सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत करने के पश्चात् ही माह जुलाई, 2013 में आगामी वेतन वृद्धि स्वीकृत की जावे।** इसके लिए आप अपनी कार्यालय रिकार्ड से भली भांति सुनिश्चित कर लेवें कि अधिकारी द्वारा अचल सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत कर दिया गया है।

(नवीन जैन)
निदेशक

क्रमांक एफ3(अ.स.)एसीआर/निकाशि/12/44-49 दिनांक : 4.2.13

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव कार्मिक (क–1/गो.प्र.)विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. उपशासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. विशेषाधिकारी उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त संयुक्त निदेशक/उपविधि परामर्शी/मुख्य लेखाधिकारी।
6. श्री धीरेन्द्र देवश्री प्रभारी वेबसाईट को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर अविलम्ब अपलोड करें।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)